सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 23, मंगलवार, *शाके* 1945-जून 13, 2023
Jyaistha 23, Tuesday , Saka 1945- June 13, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 12, 2023

संख्या प.1(1)न्याय/2023 :-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती हैः-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ	अलवर	गोविन्दगढ
2	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगर	भरतपुर	नगर
3	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर	श्रीगंगानगर	श्रीकरणपुर
4	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर	श्रीगंगानगर	सादुलशहर
5	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, सीकर	सीकर	सीकर
6	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़
7	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
8	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा	बाडमेर	बालोतरा
9	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक	दौसा	बांदीकुई

	मजिस्ट्रेट, बांदीकुई		

नोट-उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।